भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2422
उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

करूर में पीएमईजीपी

2422. **सुश्री एस. जोतिमणिः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत प्राप्त और स्वीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थानीय उद्यमियों, विशेषकर करूर के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पीएमईजीपी के अंतर्गत करूर क्षेत्र में कपड़ा और कॉयर आधारित एमएसएमई जैसे पारंपरिक उद्योगों को विशेष रूप से सहयोग देने के लिए की पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप करूर में कितने नए रोजगार सृजित हुए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान तमिलनाडु राज्य के करूर जिले में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत प्राप्त, स्वीकृत आवेदनों की संख्या, सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या और संवितरित की गई मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	संवितरित एमएम सब्सिडी (करोड़ रुपए में)
2023-24	1662	772	222	3.97

(ग) और (घ): करूर जिले के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित देश भर में स्थानीय उद्यमियों की जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने तथा वस्त्र और कयर सहित पारंपरिक उद्योगों में एमएसएमई को सहायता देने के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत सरकार द्वारा की गई पहल निम्नलिखित हैं:

i. विशिष्ट श्रेणी पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पिछड़े और कम कार्य-निष्पादन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना।

ii. सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत के लिए दी जानेवाली 15% और 25% सब्सिडी की तुलना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला आदि सहित विशेष श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के लिए उच्च सब्सिडी क्रमशः 25% और 35% दी जाती है।

iii. उच्चतर सब्सिडी के लिए पात्र आकांक्षी जिलों और विशेष श्रेणी के अंतर्गत ट्रांसजेंडरों के आवेदकों को शामिल करना।

iv. भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन।

v. इस स्कीम के अंतर्गत पशुपालन से संबंधित उद्योगों जैसे डेयरी, कुकुट, जलीय कृषि, कीट पालन (मधुमक्खी, रेशम उत्पादन आदि) को अनुमति दी गई है।

vi. जनवरी 2024 से 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भावी लाभार्थियों से ऑफलाइन मोड में पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार किया जाना।

vii. विभिन्न उद्योगों पर मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पीएमईजीपी पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई हैं।

(ड.): सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या और अनुमानित सृजित रोजगार के संदर्भ में वितीय वर्ष 2023-24 के दौरान तमिलनाडु राज्य के करूर जिले में पीएमईजीपी के कार्य-निष्पादन का विवरण निम्नानुसार है: -

वित्तीय वर्ष	**सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या**	**अनुमानित सृजित रोजगार (संख्या में)**
2023-24	222	1,776

****